न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन आई एक्ट कैसेज क्रम–08)
उदयपुर राज.
निय. फौज. प्रकरण सं. 33365/2022
भगवत सिंह बनाम जय गखरेजा
निर्णय दिनांक– 04.08.2026

न्यायालयः विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एन आई एक्ट कैसेज), न्यायालय संख्या 8, उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः चेताली गोयल, आर.जे.एस.
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्याः 33365/22
(CNR NO. RJUD020222212022)

भगवत सिंह पिता स्व. बालकिशन, निवासी 14, अरिहन्त ग्रीन्स, देवाली, गोवर्धन विलास, टेक्नो मोटर्स वर्क शॉप के पीछे, सेक्टर 14, जिला उदयपुर (राज.)
––परिवादी

बनाम

1. जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता–130, महाराणा प्रताप कॉलोनी, गवरी चौक, हिरणमगरी, सेक्टर 13 उदयपुर (राज.)
2. सत्यम बुक डिपो जरिये प्रोपराईटर जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता–देहली गेट चोराहा, उदयपुर (राज.)
––अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम

उपस्थितः–
1. श्री अभिषेक राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता, परिवादी की तरफ से।
2. श्री रितिन साहू, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की तरफ से।

निर्णय **दिनांकः 04.08.2026**

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्टेण्डिग आदेश क्रमांक एस.ओ.07/एस.ओ.2020/दिनांक 27.04.2020 की अनुपालना में प्रकरण के पक्षकार परिवादी व अभियुक्त की जाति का अंकन नहीं किया जा रहा है।
2. परिवादी द्वारा एक इस्तगासा दिनांक 16.12.2022 को न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एनआईएक्ट कैसेज) क्र.सं.–1, उदयपुर के यहां पेश किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 16.12.2022 को अभियुक्त जय गखरेजा के विरुद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् यह प्रकरण श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के आदेश क्रमांक 299 दिनांक 07.08.2023 की अनुपालना में इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त होने पर

Shamina Bano
Authenticated Document
Digitally signed by Shamina Bano
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 14:27:35 +0530

दिनांक 20.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचारण प्रारम्भ किया गया।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अभियुक्त व परिवादी दोनों आपस में भली प्रकार से परिचित हो दोनों के मध्य मधुर एवं व्यावसायिक संबंध रहे हैं, जिससे चलते अभियुक्त ने परिवादी से व्यवसाय में रुपयों की आवश्यकता बताकर रुपये 32,00,000/– रुपये उधार लिए थे। अभियुक्त ने ऋण की आंशिक राशि की अदायगी हेतु एक चैक, चैक नम्बर 652803 तादादी राशि 4,00,000/– अक्षरे चार लाख रूपये दिनांक 26.10.2022, बैंक, एसबीआई बैंक, सहकारी बाजार, शास्त्री सर्कल, उदयपुर का दिया। परिवादी द्वारा उक्त चैक को भुगतान हेतु अपनी बैंक, एसबीआई बैंक की हिरणमगरी शाखा, सेक्टर 4, उदयपुर (राज.) में जमा कराया, जिस बैंक द्वारा 'Funds Insufficient' की टिप्पणी के साथ दिनांक 18.11.2022 को अनादरित कर लौटा दिया गया। उक्त चैक अनादरित होने के पश्चात् परिवादी ने अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त के सही व ज्ञात पते पर भिजवाया गया। उक्त भेजा गया नोटिस अभियुक्त के पते पर दिनांक 23.11.2022 को अभियुक्त को प्राप्त हो गए, जिसकी प्राप्ति डाक विभाग की ट्रेक रिपोर्ट एवं लौट आई डाक पर अंकित टिप्पणी "Refused" से पुष्ट होती है। बावजूद नोटिस प्राप्त होने के अभियुक्त ने उक्त चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया आदि तथ्यों का परिवाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा बाद जांच अभियुक्त जय गखरेजा के विरूद्ध दिनांक 16.12.2022 को धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अपराध का प्रथम दृष्ट्या बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण फौजदारी नम्बरी के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. दिनांक 03.01.2024 को अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया समझाया गया, अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. परिवादी ने मौखिक साक्ष्य में स्वयं को पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मूल चैक प्रदर्श पी 01, रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 02, नोटिस प्रदर्श पी 03, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 04 व प्रदर्श पी 05, नेट रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 व प्रदर्श पी 07, लौटकर आए लिफाफे प्रदर्श पी 08 व प्रदर्श पी 09 प्रदर्शित करवाए गए।

6. अभियुक्त को परिवादी से जिरह करने हेतु अनंत अवसर दिए जाने के बावजूद भी अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी से जिरह नहीं की गई, जिससे अधिवक्ता

Shamina Bano
Authenticated Document
Digitally signed by Shamina Bano
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 14:27:40 +0530

अभियुक्त का परिवादी से जिरह का अवसर समाप्त किया गया तत्पश्चात् अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया। अभियुक्त ने गवाह के कथनों को गलत होना बताते हुए कथन किया कि **झूठा केस किया है।**

7. अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

8. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1– क्या अभियुक्त ने परिवादी से लिये गए विधिक ऋण व दायित्व के भुगतान पेटे विवादित चैक नम्बर 652803 प्रदर्श पी 01 परिवादी को दिया जो परिवादी द्वारा अपने बैंक में भुगतान प्राप्ति हेतु चैक की वैधता अवधि के दौरान प्रस्तुत करने पर अनादरित होकर लौटा, जिस पर चैक अनादरण की सूचना देने व चैक राशि की मांग करने हेतु परिवादी द्वारा नोटिस दिनांक 21.11.2022 को अभियुक्त को प्रेषित करवाया जो अभियुक्त को प्राप्त होने के बावजूद भी अंदर मियाद 15 दिवस के चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने पर परिवादी द्वारा परिवाद हेतुक उत्पन्न होने से एक माह की अवधि के भीतर परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया?

2. यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डित किया जाए?

9. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता परिवादी की यह बहस रही है कि अभियुक्त व परिवादी दोनों आपस में भली प्रकार से परिचित हो दोनों के मध्य मधुर एवं व्यावसायिक संबंध रहे हैं, जिससे चलते अभियुक्त ने परिवादी से व्यवसाय में रुपयों की आवश्यकता बताकर रुपये 32,00,000/– रुपये उधार लिए थे। अभियुक्त ने ऋण की आंशिक राशि की अदायगी हेतु परिवादी को विवादित चैक प्रदत्त किया, परंतु उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर बैंक द्वारा "फंड्स इंसफशिएंट" की टिप्पणी के साथ अनादरित कर लौटा दिया गया, जिसकी सूचना परिवादी को होने पर अभियुक्त को विधिक नोटिस जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाई गई। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी 15 दिवस के भीतर अभियुक्त ने चैक राशि का भुगतान नहीं किया है। परिवादी की ओर से दिनांक 16.12.2022 को परिवाद न्यायालय में विहित समयावधि के भीतर पेश किया गया है। परिवादी ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के पूर्णरूप से पालना की है तथा परिवादी पी.ड.1 भगवत सिंह के मौखिक कथन तथा दस्तावेजी साक्ष्य असल प्रदर्श पी 01, रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 02, नोटिस प्रदर्श पी 03, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 04 व प्रदर्श पी 05, नेट रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 व

Shamina Bano
Authenticated Document
Digitally signed by Shamina Bano
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 14:27:48 +0530

प्रदर्श पी 07, लौटकर आए लिफाफे प्रदर्श पी 08 व प्रदर्श पी 09 से परिवाद में अंकित तथ्यों की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि परिवादी ने चैक अनादरण के संबंध में नोटिस अभियुक्त को भिजवाया था, जिसका जवाब भी अभियुक्त ने नहीं दिया है। अतः परिवादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अन्त में अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर परिवादी को चैक राशि की दोगुनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाये जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त के मुख्य रूप से यह तर्क रहे कि परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है, जिससे परिवादी का परिवाद चलने योग्य नहीं है।

11. हस्तगत प्रकृति के प्रकरण में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या परिवादी के पक्ष में परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन हुआ है ?

उपधारणा के सृजन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत Aps Forex Services Pvt. Ltd. v/s Shakti International Fashion, 202 scc online sc 193 **में यह मत प्रतिपादित किया है कि** Section 139 of the act is an example of reverse onus clause, and therefore, once the issuance of the cheque has been admitted and even the signature on the cheque has been admitted there is always a presumption in favour of the complainant that there exists a legally enforceable debt or liability and thereafter it is for the accused to rebut such presumption by leading evidence." **''इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त** Triyambak S. Hegde vs Sripad, (2022) 1 SCC 742 **में भी यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि –** It is clear that the respondent has not disputed the signature on the cheque. If that be the position, as noted by courts below, a presumption would arise under section 139 in favour of the appellant who is the holder of the cheque.

अतः अभियुक्त द्वारा चैक पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार करने पर परिवादी के पक्ष में उपधारणा का सृजन होता है, बशर्ते है उपधारणा के सृजन के लिए परिवादी द्वारा प्रारंभिक मूलभूत आधार तथ्यों को स्थापित किया गया हो। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो प्रकरण में विवादित चैक प्रदर्श पी 01 दिनांक 26.10.2022 का है, जो वैधता अवधि के दौरान समाशोधन हेतु परिवादी द्वारा अपने बैंक में प्रस्तुत किए जाने, अपने परिवाद व शपथ पत्र में

Shamina Bano
Authenticated Document
Digitally signed by Shamina Bano
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 14:28:03 +0530

अंकित किया गया है। चैक पर अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर होने का तथ्य किसी भी स्तर पर विवादित नहीं किया गया है। चैक बैंक द्वारा 'Funds Insufficient' की टिप्पणी के साथ दिनांक 18.11.2022 को अनादरित किया गया। उक्त तथ्य चैक अनादरण मेमो प्रदर्श पी 02 से प्रकट होता है। परिवादी द्वारा चैक अनादरण की सूचना प्राप्त होने के अंदर मियाद 30 दिवस अभियुक्त को चैक अनादरण की सूचना देने व चैक राशि की मांग करने के लिए नोटिस दिनांक 21.11.2022 को अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रेषित करवाये जाने का तथ्य परिवाद पत्र में अंकित किया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विधिक नोटिस प्रदर्श पी 03, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 04 व प्रदर्श पी 05, नेट रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 व प्रदर्श पी 07, लौटकर आए लिफाफे प्रदर्श पी 08 व प्रदर्श पी 09 से होती है।

12. अभियुक्त को नोटिस प्रेषित किए जाने के संबंध में परिवादी ने अपने मामले के समर्थन में पंजीकृत सूचना–पत्र प्रदर्श पी 03, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 04 व प्रदर्श पी 05, नेट रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 व प्रदर्श पी 07, लौटकर आए लिफाफे प्रदर्श पी 08 व प्रदर्श पी 09 प्रदर्शित करवाए, जिसके जरिये परिवादी का यह मामला रहा कि परिवादी ने अभियुक्त को पंजीकृत सूचना–पत्र उसके पते **1. जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता–130, महाराणा प्रताप कॉलोनी, गवरी चौक, हिरणमगरी, सेक्टर 13 उदयपुर (राज.) 2. सत्यम बुक डिपो जरिये प्रोपराईटर जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता– देहली गेट चोराहा, उदयपुर (राज.)** पर भेजे थे, जो कि "दिए गए पते पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है" एवं "Refused" के पृष्ठांकन के साथ पुनः लौटा दिए गए। परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा पंजीकृत सूचना–पत्र अभियुक्त के पते **1. जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता–130, महाराणा प्रताप कॉलोनी, गवरी चौक, हिरणमगरी, सेक्टर 13 उदयपुर (राज.) 2. सत्यम बुक डिपो जरिये प्रोपराईटर जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता– देहली गेट चोराहा, उदयपुर (राज.)** पर दिनांक 21.11.2022 को भेजे गए थे, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत सूचना–पत्र प्रदर्श पी 03, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 04 व प्रदर्श पी 05 से होती है। जहां तक उक्त सूचना–पत्र अभियुक्त को प्राप्त होने का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली पर लौटकर आए लिफाफे प्रदर्श पी 08 व प्रदर्श पी 09 मौजूद है, जिस पर "दिए गए पते पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है" एवं "Refused" के अंकन के साथ पुनः परिवादी को प्राप्त होना दर्शित होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां उपरोक्त आशय की टिप्पणी

Shamina Bano
Authenticated Document
Digitally signed by Shamina Bano
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 14:28:08 +0530

के साथ नोटिस पुनः परिवादी को प्राप्त होना दर्शित हुआ हो, वहां न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या परिवादी ने अभियुक्त के सही एवं ज्ञात पते पर पंजीकृत सूचना–पत्र भेजा था, जिससे परिवादी को उपधारणा का लाभ मिल सके। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी ने अभियुक्त को पंजीकृत सूचना–पत्र पते **1. जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता–130, महाराणा प्रताप कॉलोनी, गवरी चौक, हिरणमगरी, सेक्टर 13 उदयपुर (राज.) 2. सत्यम बुक डिपो जरिये प्रोपराईटर जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता–देहली गेट चोराहा, उदयपुर (राज.)** पर भेजा जाना बताया है तथा अभियुक्त ने बयान मुल्जिम के स्तर पर भी अपना वही पता अंकित करवाया है जो कि परिवादी ने अपने परिवाद–पत्र व नोटिस में अंकित किया है, जिससे यह स्पष्ट साबित होता है कि परिवादी ने अभियुक्त के सही एवं ज्ञात पते पर पंजीकृत सूचना–पत्र भेजा था, जिससे उपधारणा के आधार पर भी यह मत कायम किया जा सकेगा कि अभियुक्त को नोटिस प्राप्त हो चुका था। इस प्रकार नोटिस की सूचना अभियुक्त को हो जाने के अंदर मियाद 15 दिवस चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने पर वाद हेतु उत्पन्न हो जाने से 1 माह के भीतर दिनांक 16.12.2022 को उक्त परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में चैक पर अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर स्वीकृत होने से व प्रारंभिक मूलभूत आधार साबित होने से परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन होता है।

13. अब न्यायालय को यह देखना होगा कि अभियुक्त धारा 139 एन.आई. एक्ट की उपधारणा का खण्डन कर पाने में सफल रहा है अथवा नहीं। इस संबंध में अभियुक्त को ऐसी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करनी होगी कि न्यायालय प्रतिरक्षा के अस्तित्व को स्वीकार कर सके या अभियुक्त द्वारा बताए गए कथन इतने संभाव्य हो कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति इस तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करे। यद्यपि संभावना कि प्रबलता के आधार पर उपधारणा को खण्डित किया जा सकता है, परंतु अभियुक्त को सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य पेश करनी होगी एवं केवल मात्र कथन से उक्त उपधारणा खण्डित नहीं मानी जा सकती है। धारा 139 की उपधारणा को खण्डित करने के लिए अभियुक्त के पास दो साधन है, पहला परिवादी से जिरह करके, दूसरा स्वयं की ओर से साक्ष्य पेश करके।

14. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) 2011 एससीसी 441** में यह निर्धारित किया है कि धारा 139 एनआईएक्ट की उपधारणा खण्डनीय है तथा इस उपधारणा को खण्डित करने

Shamina Bano
Authenticated Document
Digitally signed by Shamina Bano
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 14:28:14 +0530

का भार अभियुक्त पर होता है। इस उपधारण को खण्डित करने से पूर्व परिवादी को सर्वप्रथम अपना मामला संदेह से परे साबित कर यह दर्शाना है कि उसके द्वारा दी गई रकम के बाबत् जारी किया गया चैक किसी विधिक दायित्व की अदायगी के पेटे ही दिया गया है।

15. इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय Basalingappa Vs Mudibassapa (2019) 5SCC 418 में यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि अभियुक्त धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का खण्डन परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में संदेह उत्पन्न करके भी कर सकता है। उसे स्वयं को बतौर साक्षी के रूप में परीक्षित करवाने की आवश्यकता नहीं है। धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का खंडन केवल संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर हो सकता है।

16. प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण साक्ष्य शपथ–पत्र में परिवाद में वर्णित तथ्यों का दोहराव करते हुए इस आशय की साक्ष्य दी कि अभियुक्त व परिवादी दोनों आपस में भली प्रकार से परिचित हो दोनों के मध्य मधुर एवं व्यावसायिक संबंध रहे हैं, जिससे चलते अभियुक्त ने परिवादी से व्यवसाय में रुपयों की आवश्यकता बताकर रुपये 32,00,000/– रुपये उधार लिए थे। अभियुक्त ने ऋण की आंशिक राशि की अदायगी हेतु परिवादी को विवादित चैक प्रदत्त किया, परंतु उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर "फंड्स इंसफिशिएंट" की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गया एवं बावजूद सूचना के अभियुक्त ने परिवादी को विवादित राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया। अतः यह स्पष्ट है कि परिवादी, अभियुक्त को मधुर एवं व्यावसायिक संबंध होने के चलते अभियुक्त के व्यवसाय में रुपयों की आवश्यकता हेतु विवादित राशि देना बताता है।

17. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त को परिवादी से जिरह करने हेतु अनंत अवसर दिए गए, बावजूद इसके अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी से जिरह नहीं की गई, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त का परिवादी से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया, जिससे परिवादी द्वारा दी गई साक्ष्य अखंडनीय प्रकृति की रही है। जहां तक अभियुक्त द्वारा बयान मुल्जिम के स्तर पर किए गए कथनों का प्रश्न है, अभियुक्त ने यह कथन किए हैं कि ''झूठा केस किया है'', परंतु अभियुक्त ने बयान मुल्जिम के स्तर पर किए गए कथनों के समर्थन में भी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे अभियुक्त की उक्त प्रतिरक्षा पर विचार किया जा सके। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत Sumeti vji v/s Paramount tech

Shamina Bano
Authenticated Document
Digitally signed by Shamina Bano
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 14:28:19 +0530

न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन आई एक्ट कैसेज क्रम–08)
उदयपुर राज.
निय. फौज. प्रकरण सं. 33365/2022
भगवत सिंह बनाम जय गखरेजा
निर्णय दिनांक– 04.08.2026

fed industries criminal appeal no. 292 of 2021 dated 09–03–2021 **में यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि** The statement of the accused recorded under section 313 of the code is not a substantive evidence of defence but only an opportunity to the accused to explain the incriminating circumstances appearing in the prosecution case of the accused. ऐसे में केवल मात्र कथन करना ही पर्याप्त नहीं होता है जब तक कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा को संभावना की बाहुल्यता तक साबित नहीं कर देता।

18. अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के चलते जहां यह प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा दी गई साक्ष्य का कोई खंडन नहीं हुआ है, न ही अभियुक्त ने बयान मुल्जिम के स्तर पर प्रस्तुत कथनों के समर्थन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश की है, ऐसे में मात्र कथनों के आधार पर परिवादी के पक्ष में उत्पन्न हुई उपधारणा का खंडन होना नहीं माना जा सकता है।

19. अतः अभियुक्त संभावना की प्रबलता के आधार पर परिवादी के पक्ष में की गई उपधारणा को खण्डन करने में असफल रहा है एवं परिवादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व के पूर्णतः या भगतः उन्मोचन के लिए अपने बैंक खाते का एक चैक, चैक नम्बर 652803 तादादी 4,00,000/– रुपये दिनांक 26.10.2022 का जारी कर हस्ताक्षरित कर परिवादी को दिया, जिसे क्लीयरेंस हेतु परिवादी द्वारा अपने बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर उक्त चैक अनादरित हो गया, जिसकी सूचना अभियुक्त को होने के बावजूद अभियुक्त ने परिवादी को चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया।

–आदेश–

20. फलतः **1. जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता–130, महाराणा प्रताप कॉलोनी, गवरी चौक, हिरणमगरी, सेक्टर 13 उदयपुर (राज.) 2. सत्यम बुक डिपो जरिये प्रोपराईटर जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता– देहली गेट चोराहा, उदयपुर (राज.)** को अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(चेताली गोयल)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन आई एक्ट कैसेज), न्यायालय संख्या 8,
उदयपुर (राज.)

सजा के बिन्दु पर सुना गया

21. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा

Shamina Bano
Authenticated Document
Digitally signed by
Shamina Bano
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05
14:28:24 +0530

न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन आई एक्ट कैसेज क्रम–08)
उदयपुर राज.
निय. फौज. प्रकरण सं. 33365/2022
भगवत सिंह बनाम जय गखरेजा
निर्णय दिनांक– 04.08.2026

अधिनियम का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जाकर चैक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि अभियुक्त से दिलवाया जाने का निवेदन किया।

22. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप साबित पाये गये हैं जो आर्थिक अपराध से संबंधित है, जिसमें यदि अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो चैक अनादरण के संबंध में विधायका द्वारा निर्मित अधिनियम के उद्देश्य विफल होंगे। लिहाजा अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

– दण्डादेश–

23. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **1. जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता–130, महाराणा प्रताप कॉलोनी, गवरी चौक, हिरणमगरी, सेक्टर 13 उदयपुर (राज.) 2. सत्यम बुक डिपो जरिये प्रोपराईटर जय गखरेजा पिता रमेश गखरेजा, पता– देहली गेट चोराहा, उदयपुर (राज.)** को अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

24. धारा 357 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार अभियुक्त बतौर क्षतिपूर्ति परिवादी को **4,72,000/– रुपये अक्षरे चार लाख बहत्तर हजार रुपये** अदा करें। अदम अदायगी क्षतिपूर्ति अभियुक्त जय गखरेजा 01 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

25. अभियुक्त द्वारा इस मामले में विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि, यदि कोई हो, धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कारावास की सजा में समायोजित की जावे। तद्नुसार सजा वारन्ट तैयार किया जावें। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जो जमानत मुचलके पेश किए गए थे, न्यायालय द्वारा उन्हीं जमानत मुचलकों को धारा 437–ए के अंतर्गत वांछित मुचलकों के रूप में माना जाता है। निर्णय की एक प्रति अविलम्ब अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। एक प्रति ई–कोर्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड की जावे।

(चेताली गोयल)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन आई एक्ट कैसेज), न्यायालय संख्या 8,
उदयपुर (राज.)

Shamina Bano
Authenticated Document
Digitally signed by Shamina Bano
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 14:28:30 +0530

न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन आई एक्ट कैसेज क्रम–08)
उदयपुर राज.
निय. फौज. प्रकरण सं. 33365/2022
भगवत सिंह बनाम जय गखरेजा
निर्णय दिनांक– 04.08.2026

26. निर्णय आज दिनांक 04.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(चेताली गोयल)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन आई एक्ट कैसेज), न्यायालय संख्या 8,
उदयपुर (राज.)

Shamina Bano
Authenticated Document
Digitally signed by Shamina Bano
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 14:28:37 +0530